कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः– 25.2/208/2014-15 दिनांकः– 29-7-2015

मेसर्स शंखेश्वर डवलपर्स भागीदारी
फर्म श्री आशीष जैन एवं श्री नाना लाल राठौड

विषय :– भवन निर्माण का अनुमति पत्र

महोदय / महोदया,

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र क्रमांक भ.अ / 208 / 2014–2015. दिनांक ....12 / 12 / 2014... के अनुसरण में हिरण मगरी से नं. 5, उदयपुर.. नामी योजना के भूखंड संख्या ....8 व 9.... ब्लाक संख्या ..–.... भूखंड संख्या ...8 व 9.. वार्ड संख्या ...27.. क्षेत्रफल 14881'–3''.वर्ग फीट / वर्ग मीटर पर निम्नलिखित शर्तो के साथ वरिष्ठ नगर नियोजक उदयपुर जोन के पत्र क्रमांक यूडीआर / 1620 / यूपीआर / 735 दिनांक 20 / 4 / 2015 की तकनीकी राय अनुसार एवं राज्य सरकार के स्वीकृति पत्र क्रमांक भूमि / एफ 7 (ड) (147) डीएलबी / 15 / 3836 दिनांक 12 / 6 / 2015 एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अनुसार अनुमति पत्र जारी किया जाता है।

1. भूखंड पर निर्माण निम्नलिखित सेट बेक छोडकर किया जावेगा।
   सामने का सेट बेक ....9.............. मीटर
   पीछे का सेट बेक ...30. मीटर ऊँचाई तक 6 मी. सेट बेक छोडे व 30 मी. से 40 मी. तक 7.5 मी. सेट बेक छोडे।
   पार्श्व का सेट बेक पार्श्व 1– 30. मीटर ऊँचाई तक 6 मी. सेट बेक छोडे व 30 मी. से 40 मी. तक 7.5 मी. सेट बेक छोडे।
   पार्श्व 2 – ....30. मीटर ऊँचाई तक 6 मी. सेट बेक छोडे व 30 मी. से 40 मी. तक 7.5 मी. सेट बेक छोडे।
   भूखंड पर बनाये जाने वाले भवन का क्षैत्रफल भूखंड के क्षैत्रफल के ....–.......... प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
2. आपके भूखंड के सामने स्थित सडक की चौडाई ....पूर्व 40'–0'' व उत्तर में 100'–0''... फीट है कृपया सडक की उक्त चौडाई पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें।
3. आप भवन के प्रत्येक कमरें, रसोई, शौचालय आदि में हवा व रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।
4. आप भूखंड में कोई भी ऐसा निर्माण या उपयोग नहीं करेंगे जिसके कारण आपके पडोस या मोहल्ले में रहने वालों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे।
5. आप भूखंड में निर्धारित भवन रेखाओं के आगे कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।
6. आपके द्वारा भूखंड पर निर्माण इस पत्र के पीछे वर्णित शर्तो एवं नगर निगम में प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही करवाया जायेगा अन्यथा उनके उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण तोडने के अलावा आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अनाधिकृत निर्माण आप के खर्चे से ही तुडवाया जाकर निगम द्वारा आपसे खर्चे वसूल किया जावेगा।
7. इस भवन की इजाजत से भूमि / भूखंड के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा एवं इस सम्बन्ध में नगर निगम एवं अन्य व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
8. यह स्वीकृति मात्र वाणिज्यिक / आवासीय फलेटस उपयोग तथा लोवर व अपर बेसमेन्ट एवं खुले में पार्किंग छोडते हुए 38.55 मीटर तक ऊँचाई में भूतल, प्रथम, द्वितिय, तृतीय मंजिल वाणिज्यिक एवं चतुर्थ से 11 मंजिल तक आवासीय फ्लेट्स उपयोग हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति एक ही चरण में दी जा रही है। स्वामित्व एवं अन्य मुद्दों बाबत वास्तविक तथ्य छिपाकर गलत शपथ पत्र देने एवं स्वीकृति विपरित निमार्ण एवं उपयोग करने पर निगम द्वारा जारी स्वीकृति स्वतः निरस्तनीय मानी जावेगी। इस स्वीकृति को सबूत के काम में न लेवें।
9. भूखंड के सामने जहाँ सीवर लाईन उपलब्ध है वहाँ आपके सीवर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
10. भूखंड में वर्षा जल एकत्रीकरण हेतू टांके का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जावें इस पानी को धरेलु उपयोग में लिया जावें।
11. भूखंड क्षैत्र में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगावें तथा भवन निर्माण कम से कम लकडी का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में सहयोग करें।
12. प्रार्थी इस भूखंड पर भवन निर्माण हेतू किसी राष्ट्रीकृत बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतू भूखंड को रहन रखें तो इसमें नगर निगम को काई आपति नहीं है।
13. यह निर्माण स्वीकृति जारी होने के दिनांक को 2 वर्ष के लिए मान्य है। इस समयावधि के पश्चात इसे नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
14. मैन गेट के पिल्लर पर प्रार्थी अपना नाम प्लाट नं. / मकान नं., गली / सडक का नाम एवं पूरा पता स्पष्ट शब्दों में अंकित करावें।
15. मैन गेट अंदर की ओर खुलता हुआ रखें एवं सडक की तरफ रैम्प, सिढी, नाल आदि न बनावें।

For SHANKHESHWAR DEVELOPERS
PARTNER

16. प्रार्थी द्वारा निर्माण स्थल पर दृढ पदार्थ से बने 4'–0" × 4'–0" आकार के बोर्ड पर भवन अनुज्ञा और सनिर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। प्रारूप संलग्न।
17. प्रार्थी स्वयं एवं आगन्तुको के वाहन को स्वयं के परिसर में रखे सार्वजनिक मार्गाधिकार में वाहन रखने की अनुमति नही है।
18. प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसका सीमांकन/ले आऊट अथवा मार्किंग निगम के कनिष्ठ अभियन्ता से कराया जाकर उसी अनुरूप निर्माण प्रारम्भ करें।
19. **Plinth Level** तक निर्माण होने पर प्रार्थी द्वारा नगर निगम को सूचित किया जाएगा एवं नगर निगम के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात् ही आगे का निर्माण कार्य कराया जावे अन्यथा भवन अनुमति निरस्त मानी जावेगी।
20. अग्निशमन का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार करना होगा एवं राष्ट्रीय भवन संहिता के सभी प्रावधानों की पालना करनी होगी।
21. भवन की सुरक्षा के लिए क्वालिफाईड स्ट्रक्चर इन्जिनियर से डिजाईन करवा कर ही निर्माण करने एवं भूकम्प विरोधी भवन की संरचना बनाये।
22. प्रार्थी द्वारा दिये गये समस्त शपथ पत्रों की शर्तो पर कायम रहे।
23. 2 बेसमेन्ट (लोअर एवं अपर ग्राउण्ड फ्लोर) में पार्किंग रखे व दिनांक 27.7.2015 के समर्पण पत्र की शर्तो की पालना करे।
24. भवन में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जावे एवं ऊर्जा संरक्षण के नियमों की पालना की जावे।
25. भवन को उपयोग में लेने से पूर्व पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
26. प्रार्थी के प्रकरण में राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार एक ही चरण में स्वीकृति दी जा रही है। कनिष्ठ अभियन्ता उक्त भवन का समय – समय पर कार्य चैक करेंगे व स्वीकृति विपरित निर्माण होने की स्थिति में स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी।
27. दिनांक 24/7/2015 की अण्डटेकिंग शर्तो पर कायम रहे।
28. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त की अवहेलना करने पर निर्माण स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी।
29. भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रार्थी के स्वयं की होगी। किसी भी तरह की आपदा होने पर प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

आयुक्त
नगर निगम,उदयपुर

CONDITIONS :

1. No Projection Shall be allowed over the minimum open space expect in the front and that to will be permittes only in way of balony
2. Plinth heigh shall be not less than 2'-0 ft. form a abutting road level and height of compound wall shall be not more than 4.5 ft.
3. Width of staircase shall be not less than 3 ft.
4. No living the rooms shall cover carpet area less than 100 sq ft.
5. Clear ceiling height of living rooms shall be not less than 10'-0'ft.in ground floor and 10'-0' ft. in upper floors.
6. Only flush latrine shall be constructed in accordance with prevalent ruled and the effluence of septic task shall be absorbed in the soak pit within the premises of the plot.
7. Where the Government surface drain not exit the waste of the house shall be absorbed soak pit within the premises of the plot.
8. In case of Corner plot. Coner of compound wall at road crossing shall be stricitly rounded to patta/site plan..
9. No addition or alteration to the sanctioned plan shall be made prior to approval of this deparment.
10. Plot number shall be put on Gate pillar.
11. Owner of the house should inform the date of Commencement of construction to this office brfore it actually starts.
12. The house Construction under this permission shall be declared for use only after obtaining completion certificate as per approve pan.
13. Rest rules as prevalent in municipal council for this clearance & sanction etc. shall be strictly followed.

प्रतिलिपि :–

1. राजस्व अधिकारी/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने क्षैत्र में भवन निर्माण अनुमति अनुसार निर्माण होना सुनिश्चित करावे।
2. प्रन्यास शाखा प्रथम/द्वितिय को प्रेषित कर लेख है कि नियमों के उल्लंधन विपरित रिपोर्ट आने पर आर ओ को कार्यवाही हेतू भेजे एवं प्लान मूल पत्रावली में लगावें।
3. कार्यालय प्रति भवन मानचित्र शाखा।
4. श्री उपकर निर्धारण अधिकारी भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण कार्यालय संभागीय आयुक्त, श्रम आयुक्त,उदयपुर (राज)।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर